न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 8/2024
अनवान : –

1. सत्यपालसिंह पुत्र रणधीरसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।

–प्रार्थी

वनाम्

1. हंसराज पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
2. उम्मेदसिह पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
3. छबीलाराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
4. प्रेम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
5. बलवान सिंह पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
6. मंगलाराम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
7. रामेश्वर पुत्र रामचंद्र जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
8. शुभकरण पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
9. संतोष पुत्री रामचंद्र जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
10. सरस्वती पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
11. राजवीर पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
12. अमित कुमार पुत्र ईश्वरसिह जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
13. कमला पुत्री ईन्द्राज जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
14. कृष्णकुमार पुत्र ईन्द्राज जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
15. कान्ता पुत्री ईन्द्राज जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
16. निर्मला पुत्री भीमसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
17. बादोदेवी पत्नी भीमसिह जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
18. मुकेश पुत्र भीमसिह जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
19. मैनादेवी पत्नी ईश्वरसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
20. मनोहरलाल पुत्र ईन्द्राज जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
21. राजीव कुमार पुत्र ईन्द्राज जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
22. शकुन्तला पुत्री ईन्द्राज जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
23. सुमन पुत्री भीमसिह जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
24. सुमित कुमार पुत्र ईश्वरसिह जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
25. सुशील कुमार पुत्र भीमसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
26. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील भादरा।

:–अप्रार्थीगण

27. विमला पुत्री श्योचंद जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
28. राजबाला पुत्री श्योचंद जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
29. सतवीर पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।
30. सुमित्रा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी गढीछानी तहसील भादरा।

:–तरतीबी अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:09:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251
ए आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 ए व
दावा अन्तर्गत 88 आटीएक्ट
उपस्थिति :—श्री लीलाधर अग्रवाल प्रार्थी

निर्णय

दिनांकः

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएल के खाता सं0 200/136 के मु0 न0 55 के किला न0 1/1, 1/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24 व मु0 न0 56 के किला न0 4, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 12 ता 25, मु0 न0 57 के किला न0 16, 17, 24, 25 व मु0 न0 91 के किला न0 2 ता 5, मु0 न0 92 के किला न0 1, 2/1, 2/2, 3 कुल 11.1320है0 व चक 6 जेएसएल के खाता सं0 127/9 के मु0 न0 46 के किला न0 21/2, मु0 न0 56 के किला न0 1, 2, 3, 8 ता 11 कुल 1.8970है0, व रोही चक 6 जेएसएल के खाता सं0 206/175 के मु0 न0 45 के किला न0 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 मु0 न0 57 के किला न0 4, 5, 6, 7, 14, 15 कुल 4.0480है0 बारानी राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतू कोई स्वीकृत रास्ता राजस्व रिकार्ड में मौजूद नहीं होने की वजह से आवागमन में परेशानी होती है तथा काश्तकार का रास्ता स्वीकृत करवाने का कानूनी अधिकार है व प्रार्थी के नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता मु0 न0 56 के किला न0 1, 2, 3, 4, 5 में उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम 1—1 बिस्वा स्वीकृत करवाना चाहता है। जिसके लिए राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की पालना के लिए तत्पर व तैयार है उक्त धारा के अनुसार बाजार भाव से कीमत व कृषि भूमि के बदले कृषि भूमि देने के लिए तत्पर व तैयार है। व स्वीकृत शुदा रास्ता से रास्ता स्वीकृत करने पर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी।

मु0 न0 56 के किला न0 6 व 7 में स्वीकृत शुदा रास्ता है उक्त रास्ता से कोई आवागमन नहीं है व अप्रार्थी का खेत कब्जा काश्त अनुसार रास्ता दर्ज होने से दो भागों में बंट जायेगा जिससे नाहक परेशानी होगी इसलिए मु0 न0 56 के किला न0 6 व 7 में दर्ज रास्ते को कलमजन करते हुए उक्त 6 व 7 में दर्ज रास्ता के स्थान पर किला न0 4 व 5 में रास्ता दर्ज किया जावे। व 1, 2, 3 में [illegible] वगैरहा काश्तकार है। व किला न0 4, 5, 6, 7 में राजवीर पुत्र सोमनराम, छबीलराम पुत्र नन्दराम, शुभकरण, नन्दराम, बलवानसिंह पिता श्योनारायण [illegible] मु0 न0 56 के किला न0 1 ता 5 में उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम में रास्ता स्वीकृत किया जावे तो उपरोक्त काश्तकारों को सहूलियत व सुविधा आवागमन में होगी तथा किसी काश्तकार को कोई आपत्ति नही होगी प्रार्थी सत्यपालसिंह ने मु0 न0 56 के किला न0 3, 2, 1 से खाले के पास इस रास्ते को आगे स्वीकृत करवाने के एवज में धारा 251 के तहत डीएलसी रेट के दुगुने के अनुसार राशि चैक संख्या 51222 न0 728077 दिनांक 25.10.2021 कृष्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:49:01 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] (राजस्व)
[illegible] (जिला-हनुमानगढ़)

कुमार पुत्र ईन्द्राज के नाम से क्योंकि उक्त मु0 न0 56 के किला न0 1, 2, 3 की भूमि कृष्ण कुमार के कब्जा काश्त में है उसे बंटवारा में मिली हुई है। जिससे सभी काश्तकार सहमत है। व किसी काश्तकार को रास्ता के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रशासन गांव के संग अभियान में पेश किया गया व पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाई गयी जिसमें रास्ता मु0 न0 56 के किला न0 1, 2, 3 में 1–1 बिस्वा डी0एल0सी0 की दुगनी दर पर व किला न0 4 व 5 में रास्ता स्वीकृत किया जावे। व किला न0 6 व 7 में स्वीकृत रास्ते को निरस्त कर बदले में मु0 न0 56 के किला न0 4 व 5 में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। पटवारी की रिपोर्ट मय नक्शा पेश है। अतः प्रार्थीया उपरोक्तानुसार स्वीकृत रास्ता में वर्णित किलाजात के कॉर्नर पर रास्ता स्वीकृत करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामिल उपरान्त हाजिर नहीं होने पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु अखबार साया करवाया गया। अखबार साया पश्चात भी अप्रार्थी सं0 1 ता 25 व 27 ता 30 हाजिर अदालत नहीं आने के कारण अप्रार्थीगण सं0 1 ता 25 व 27 ता 30 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच हेतु तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट प्राप्त की गई। व वकील वादी ने प्रार्थना पत्र 06रूल्स 17 पेश कर निवेदन किया कि मु0 न0 56 के किला न0 6 व 7 में दर्ज रास्ते को खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। उक्त रास्ता की भूमि के एवज में मु0 न0 56 के किला न0 4, 5 में रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि रोही मौजा चक 6 जेएसएल के खाता सं0 200/136 के मु0 न0 55 के किला न0 1/1, 1/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24 व मु0 न0 56 के किला न0 4, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 12 ता 25, मु0 न0 57 के किला न0 16, 17, 24, 25 व मु0 न0 91 के किला न0 2 ता 5, मु0 न0 92 के किला न0 1, 2/1, 2/2, 3 कुल 11.1320है0 व चक 6 जेएसएल के खाता सं0 127/9 के मु0 न0 46 के किला न0 21/2, मु0 न0 56 के किला न0 1, 2, 3, 8 ता 11 कुल 1.8970है0, व रोही चक 6 जेएसएल के खाता सं0 206/175 के मु0 न0 45 के किला न0 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 मु0 न0 57 के किला न0 4, 5, 6, 7, 14, 15 कुल 4.0480है0 बारानी राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है वकील प्रार्थी ने कथन किया कि तहसीलदार भादरा से रिपोर्ट मंगवाई गयी जिसमें रास्ता मु0 न0 56 के किला न0 1, 2, 3 में 1–1 बिस्वा डी0एल0सी0 की दुगनी दर पर व किला न0 4 व 5 में रास्ता स्वीकृत किया जावे। व किला न0 6 व 7 में स्वीकृत रास्ते को निरस्त कर बदले में मु0 न0 56 के किला न0 4 व 5 में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:09:01 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया

अधिकारी (राजस्व)

पुत्र सतवीर नाबा
कुदरती माता अन्नु पत्नी सतवीर
2. नितेश पुत्र संदीप नाबा
पत्नी संदीप
डियागांधी हा

गया। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अपनी खातेदारी रोही मौजा रोही चक 6 जेएसएल के खाता सं0 206/175 के मु0 न0 45 के किला न0 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 मु0 न0 57 के किला न0 4, 5, 6, 7, 14, 15 कुल 4.0480है0 राजस्व रिकार्ड में संयुक्त मुश्तर्का की दर्ज है में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी जिसमें रास्ता मु0 न0 56 के किला न0 1, 2, 3 में 1–1 बिस्वा डी0एल0सी0 की दुगनी दर पर व किला न0 4 व 5 में रास्ता स्वीकृत किया जावे। व किला न0 6 व 7 में स्वीकृत रास्ते को कलमजन कर उक्त रास्ता की भूमि के एवज में मु0 न0 56 के किला न0 4 व 5 में रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है। मुताबिक तहसीलदार भादरा रिपॉर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता से आवागमन होना एवं चालू रास्ता दर्शाया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 6 जेएसएल के मु0 न0 56 के किला न0 6/2 व 7/2 में स्वीकृत रास्ता को कलमजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व उक्त रास्ता की भूमि के एवज में मु0 न0 56 के किला न0 4 व 5 में उत्तरी सींव पर पूर्व से पश्चिम की औंर 1–1 बिस्वा (सवा आठ फीट चौडाई में) तथा चक 6 जेएसएल के मु0 न0 56 के किला न0 1, 2 व 3 में उत्तरी सींव पर पूर्व से पश्चिम की और और 1–1 बिस्वा (सवा आठ फीट चौडाई में) कुल 0.039है0 चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर एवं चक 6 जेएसएल के मु0 न0 56 के किला न0 1, 2 व 3 की रास्ता की भूमि के एवज में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समीति द्वारा सिफारिस की गई कृषि भूमि दर के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रतिफल राशि दिलायी जाकर ही उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

आज दिनांक 13/5/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्जित सिवेरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kaljit Siwaran
Date: 2025.06.09 11:09:01 IST
Reason: SelfAttested